

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक: एफ 21(266)पूल/मबावि/03/ 98963
आदेश

जयपुर, दिनांक:
27.7.16

भारत सरकार के आदेश संख्या प.9-3/2008-सीडी-III दिनांक 13-07-09 व 17-01-2013 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आईसीडीएस सामान्य के अन्तर्गत निम्नलिखित ग्रामीण बाल विकास परियोजना कार्यालयों के लिए किराये के वाहन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम परियोजना कार्यालय	किराये के वाहन की संख्या
1	मालपुरा(टोंक)	एक
2	टोडारायसिंह(टोंक)	एक

वाहन किराये पर लेने एवं किराये के भुगतान सम्बन्धी समस्त कार्यवाही वित्त विभाग के परिपत्र एफ. 9(1)एफडी.1(1)बजट/2012 दिनांक 10-02-2012 एवं 01-07-2013, 15.7.15 के अनुसार सुनिश्चित करें, साथ ही भारत सरकार के नॉर्मस के अनुसार वर्ष के दौरान राशि 2.15 लाख से अधिक किसी भी परिस्थिति में व्यय न हो।

वाहनों का उपयोग भारत सरकार द्वारा निर्देशित प्रोग्राम के लिए ही किया जाएगा तथा विभागीय नकारा वाहनों को नकारा घोषित कराये जाने की कार्यवाही भी अविलम्ब सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश वित्त विभाग की आईडी संख्या 161600851 दिनांक 11-07-2016 के अनुसरण में जारी किये गये है।

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक-एफ 21(266)पूल/मबावि/03/ 98964-968 जयपुर, दिनांक: 27.7.16
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2 वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
- 3 सम्बन्धित उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
- 4 बाल विकास परियोजना अधिकारी, _____।
- 5 रक्षित पत्रावली।

प्र. (पुल) (मुख्यालय) विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करने हेतु।

प्रभारी अधिकारी पूल
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।